"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 251] रायपुर, बुधवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2005—आश्विन 13, शक 1927

वित्त तथा योजना विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-4/2005/23/वि.यो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ आर्थिक एवं सांख्यिकी तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 1989 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

अनुसूची पांच के स्कीम-2 (क) के खण्ड (तीन) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"उसकी आयु उस वर्ष की, जिसमें चयन किया जाना है, पहली जनवरी को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 50 वर्ष तक शिथिलनीय होगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. बिशी, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ 1-4/2005/23/वि.यो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-4/2005/23/वि.यो., दिनांक 4-10-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. बिशी, विशेष सचिव.

Raipur, the 4th October 2005

NOTIFICATION

No. F 1-4/2005/23/F & P.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby make the following amendment in the Chhattisgarh Economics and Statistical Class-III (Executive) Service Recruitment Rules, 1989, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

for clause (iii) of scheme 2 (a) of Schedule V, the following clause shall be substituted, namely :—

"He must have not attained the age of more than 45 years on First January in the year for which the selection is made. The upper age limit shall be relaxable up to a maximum 50 years of age for candidates belongs to a scheduled castes and scheduled tribes and other backward classes."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. K. BISI, Special Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.